

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 11173/2025

Gurudeep Singh S/o Kulwant Singh, Aged About 32 Years, R/o Mehrana Kalan, Tehsil Raikot, Police Station Raikot Sadar, District Ludhiana, Punjab. (Presently Confined In Central Jail, Ajmer)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Nikita Bhandari
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

11/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला-अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/25, 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह द्वितीय प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। जिस ट्रक से मादक पदार्थ 289 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है, उसका चालक प्रार्थी-अभियुक्त को होना बताया गया है। प्रार्थी दिनांक 24.01.2021 से अर्थात् लगभग 05 वर्ष से अधिक अवधि से अभिरक्षा में है। सहअभियुक्तगण पवित्र व वसीम, जिनसे उक्त मादक पदार्थ खरीदकर लाना बताया गया है तथा ट्रक के परिचालक शंकर सिंह को विभिन्न समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रकरण में विचारण के दौरान अभी 14 साक्षीगण में से अभियोजन पक्ष की ओर से केवल 07 साक्षीगण ही परीक्षित करवाये गये हैं।

दिनांक 20.09.2025 के उपरान्त कोई साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त जिस वाहन ट्रक का चालक था, उसमें 289 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा का है। प्रार्थी ही प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है। अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/15, 8/25, 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे वाहन ट्रक से 289 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा का है। प्रार्थी-अभियुक्त प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है। प्रार्थी के विरुद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में अभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन लेखबद्ध होना शेष है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

परिणामस्वरूप यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय होने से निरस्त किया जाता है।

विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के यथासम्भव प्रयास किये जावें।

(SHUBHA MEHTA),J